

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 5 एस. एच.पी.डी. (ए) की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 2/16 के पत्थर नं. 76/336 (12) के किला नं. 1/1 की 0.228, 2 की 0.253, 3/1 की 0.126, 8/1 की 0.127, 9 की 0.253, 10/1 की 0.228 कुल 1.215 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज संयुक्त खाता में अंकित है। उक्त संयुक्त खाता में वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। तहसील सूरतगढ़ के चक 2 एस.पी.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 3/19 के पत्थर नं. 72/328 (61) के किला नं. 1/1 की 0.013, 10/0.253 कुल 0.266 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। चक 2 एस.पी.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 2075 के खाता संख्या 2/75 के पत्थर नं. 73/328 (62) के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादी का 131/253 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-1 के नाम 122/253 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 एक ही परिवार के सदस्य है। उपर्युक्त वर्णित भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। लेकिन मौका पर वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का अलग-अलग काबिज है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित रकबा पर कब्जा काशत है। मौका पर अलग-अलग काशत होने तथा रिकार्ड में खाता संयुक्त होने के कारण समय-समय पर विवाद होते रहते है। वादी अपनी कब्जा काशत भूमि को सुधार करना चाहता है। अतः वादी वादी स्वीकार कर डिक्री जारी की जावे।</p> <p>वकील प्रतिवादी संख्या-1 ने जवाब दावा को दोहराते हुए बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार है। वाद पत्र में अंकित मद संख्या-3 अनुसार खाता विभाजन किया जावे।</p> <p>उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 वाद पत्र को स्वीकार कर रहे है। दोनों वाद पत्र की मद संख्या-3 अनुसार खाता विभाजन करने हेतु सहमत है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित है।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के मध्य निम्नांकित (1) चक 5 एस.एच.पी.डी. (ए) की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 2/16 के पत्थर नं. 76/336 (12) के किला नं. 1/1 की 0.228, 2 की 0.253, 3/1 की 0.126, 8/1 की 0.127, 9 की 0.253, 10/1 की 0.228 कुल 1.215 हैक्टर कमाण्ड (2) चक 2 एस.पी.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 2075 के खाता संख्या 2/75 के पत्थर नं. 73/328 (62) के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर कमाण्ड भूमि (3) चक 2 एस.पी.डी. की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 3/19 के पत्थर नं. 72/328 (61) के किला नं. 1/1 की 0.013, 10/0.253 कुल 0.266 हैक्टर कमाण्ड भूमि का खाता विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है:-</p> <p>वादी अजयपाल सिंह की भूमि:-चक 2 एस.पी.डी. का प.नं. 73/328 के किला नं. 1/0.143, 2/0.149, 3/0.253, 4/0.087, 7 की 0.087, 8 ता 13 की 1.518, 14/0.087, 15-16 की 0.506, 17 की 0.087, 18 ता 23 की 1.518, 24 की 0.087 कुल 4.016 है0 कमाण्ड।</p>	



162
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)